न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 38 / 2024
दायर दिनांक : 12 / 06 / 2024
निर्णय दिनांक : 04 / 11 / 2024

उनवान

1. मु. ज्योति पुत्री पारसमल उर्फ उंकारलाल कलाल पत्नी आशीष कलाल नि. भूपालसागर हा.मु.मंदसौर
2. जसराज पुत्र पारसमल उर्फ उंकारलाल कलाल निवासी भूपालसागर
3. मु. नंदिनी पुत्री पारसमल उर्फ उंकारलाल पत्नी श्रवण कलाल निवासी भूपालसागर हा.मु. भीलवाड़ा
4. मु. भावना पुत्री पारसमल उर्फ उंकारलाल पत्नी सांवरियालाल कलाल निवासी भूपालसागर हा.मु सिरोडी
5. विनोद कुमार पुत्र उदयलाल कलाल निवासी भूपालसागर
6. मु. सायरीबाई पत्नी उदयलाल कलाल निवासी भूपालसागर
7. मु. सीमाबाई पत्नी पारसमल उर्फ उंकारलाल कलाल निवासी भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुनीलप्रकाश पुत्र बसन्तीलाल रांका निवासी भूपालसागर
2. सम्पतलाल पुत्र हीरालाल महाजन निवासी भूपालसागर
3. रतनलाल दत्तक पुत्र रेणमल उर्फ वैणा गडरिया निवासी भूपालसागर
4. मु. चन्द्रकांता पत्नी मोतीलाल बाफना निवासी भूपालसागर
5. कमल पुत्र अशोककुमार अग्रवाल निवासी भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम भूपालसागर की हाल आ.सं. 1216 रकबा 0.25 है., आ.सं. 1221 रकबा 0.47 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल [illegible] नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 19:14:37 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर